भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3484
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

पीएम-श्री और पीएम-पोषण योजना के तहत स्कूलों का उन्नयन

3484. श्री सनातन पांडेय:
श्री सतपाल ब्रह्मचारी:
श्री जय प्रकाश:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में विशेषकर, बलिया लोक सभा क्षेत्र तथा हरियाणा में विशेषरूप से सोनीपत और हिसार लोक सभा क्षेत्रों में पीएम-श्री योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में विद्यालयों का चयन करने और उन्हें उन्नत बनाने का प्रस्ताव है जिससे उक्त योजना का विस्तार हो सके;
(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तथा विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में वर्तमान में उक्त योजना के तहत चयनित विद्यालयों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत आगे की कार्ययोजना क्या है;
(ग) हिसार लोक सभा क्षेत्र में उन्नयन के लिए उक्त योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों की संख्या कितनी है, साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित, उपयोग किए गए धन तथा इसके अंतर्गत विकसित किए गए अकादमी एवं बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बलिया, सोनीपत और हिसार लोक सभा क्षेत्रों में पीएम-पोषण योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत आवंटित और उपयोग किए गए धन का विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना के कार्यान्वयन में भोजन की गुणवत्ता, रसोई की अवसंरचना, स्वच्छता और समय पर धन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त कमियों को दूर करने तथा विशेषकर उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में पीएम-श्री और पीएम-पोषण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(छ) क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता, पोषण मानकों और नियमित निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए कोई समर्पित तंत्र तैयार या स्थापित किया है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): पीएम श्री योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य से 1888 पीएम श्री स्कूल चुने गए हैं, जिनमें केंद्र सरकार के 163 स्कूल (88 केंद्रीय विद्यालय और 75 नवोदय विद्यालय) शामिल हैं। इनमें से, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यथासूचित, 18 पीएम श्री स्कूल बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा, हरियाणा राज्य से केंद्र सरकार के 49 स्कूलों (28 केंद्रीय विद्यालय और 21 नवोदय विद्यालय) सहित कुल 300 पीएम श्री स्कूल चुने गए हैं। इनमें से, हरियाणा राज्य द्वारा यथासूचित, सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 18 पीएम श्री स्कूल और हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 24 पीएम श्री स्कूल चुने गए हैं। पीएम श्री स्कूलों का ब्यौरा पीएम श्री योजना की वेबसाइट पर इस लिंक https://pmshri.education.gov.in/statepर देखा जा सकता है।

पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड पीएम श्री फ्रेमवर्क की "चयन पद्धति" के तहत प्रदान किए गए हैं, जो इस लिंक पर उपलब्ध हैं: https://pmshri.education.gov.in/assets/pdf/part1_pmshri.pdf.

पीएम श्री योजना के तहत इन पीएम श्री स्कूलों में एनईपी के 21 घटकों जैसे कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लासरूम, अच्छे फर्नीचर वाली लाइब्रेरी, इंटरनेट सुविधा, कौशल शिक्षा , गाइडेंस और करियर काउंसलिंग, पूरी तरह से सुसज्जित एकीकृत साइंस लैब/फिजिक्स लैब/केमिस्ट्री लैब/बायोलॉजी लैब, अच्छी स्पोर्ट्स सुविधाओं वाला खेल का मैदान, स्कूल नवाचार परिषद , मिशन लाइफ के लिए यूथ और इको क्लब, 'बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड' (बाला) फीचर्स और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 'जादुई पिटारा', छात्रों के लिए 10 'बैग-लेस' दिन, छत्रों की उपस्थिती की निगरानी करने के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, पूरी तरह से काम करने वाली हैंडवॉशिंग सुविधा और टॉयलेट, ग्रीन स्कूल फीचर्स आदि को पूरी तरह से कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में हिसार लोकसभा क्षेत्र के पीएम श्री स्कूलों में शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधियाँ	उपयोग की गई निधियाँ
1	2023-24	265.07	254.15

2	2024-25	697.30	643.61
3	2025-26	474.52	358.91

(घ): हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत बलिया, सोनीपत और हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे के साथ-साथ लाभान्वित छात्रों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	स्कूलों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	आवंटित निधियाँ (रुपए लाख में)	उपयोग की गई निधियाँ (रुपए लाख में)
बलिया , उत्तर प्रदेश					
1	2023-24	1930	1,14,954	1729.90	1594.45
2	2024-25	1930	1,12,458	1690.03	1831.19
3	2025-26	1930	1,15,055	2093.05	2023.58
सोनीपत , हरियाणा					
4	2023-24	1133	96,761	2086.06	1632.35
5	2024-25	1133	96,203	120.25	120.25
6	2025-26	1133	95,003	1560.94	1560.94
हिसार , हरियाणा					
7	2023-24	1141	98,436	2491.23	2390.41
8	2024-25	1141	94,878	1518.32	1518.32
9	2025-26	1141	85,771	1307.30	1307.30

(ङ): हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम पोषण योजना के तहत सोनीपत, हिसार और बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है।

(च): विभाग ने पीएम श्री योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. एनआईसी द्वारा विकसित एक अलग प्रबंध पोर्टल (https://prabandh.education.gov.in/pmshri/) के माध्यम से व्यय की निगरानी, पीएबी द्वारा अनुमोदित विभिन्न घटकों के तहत उपयोग और परिणामों की निगरानी को सक्षम बनाता है।

ii. प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के साथ नियमित समीक्षा का संचालन।

iii. स्कूलों से वास्तविक समय का डेटा कैप्चर करने के लिए एक समर्पित पीएम श्री स्कूल गतिविधियों पोर्टल (https://pmshri.education.gov.in/sqaf/activities)) विकसित किया गया है, जिसमें छात्र - स्तर के परिणाम, अवसंरचना की तत्परता, घटक -वार संतृप्ति और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति शामिल है।

iv. योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों की निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा ऑन -ग्राउंड निगरानी के लिए क्षेत्र दौरे।

पीएम पोषण के संबंध में, खाद्य गुणवत्ता, पोषण मानकों और संबंधित व्यवस्थाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, ब्लॉक स्तर पर मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता में एक ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बेसिक शिक्षा अधिकारी) आईवीआरएस कॉल से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए करते हैं।

(छ) एवं (ज): पीएम पोषण योजना में विस्तृत निगरानी तंत्र अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसई एंड एल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर संचालन-सह-निगरानी समिति द्वारा निगरानी का प्रावधान है। पीएम पोषण दिशानिर्देश मेंयोजना की त्रैमासिक आधार पर निगरानी के लिए जिले के सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (एमपी) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का प्रावधान है।
